[2015] 3 एस.सी.आर. 542

अमरकांत राय

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2015 की दीवानी अपील संख्या 2835)

13 मार्च, 2015

[वी. गोपाल गौड़ा और आर. भानुमति, न्यायमूर्तिगण]

श्रम कानून: सेवा का नियमितीकरण – रात्रि प्रहरी का पद - दैनिक वेतन पर अपीलकर्ता की अस्थायी नियुक्ति - विश्वविद्यालय ने उन व्यक्तियों को नियमित करने का निर्णय लिया जिन्होंने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था - प्राचार्य ने विश्वविद्यालय के पंजीयक से अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का अनुरोध किया लेकिन पंजीयक ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया - कुछ समान रूप से स्थित दैनिक वेतन भोगियों द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर, उच्च न्यायालय ने पंजीयक को दैनिक वेतन भोगियों को अपनी नौकरी फिर से शुरू करने की अनुमति देने का निर्देश दिया और अपीलकर्ता ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया - अपीलकर्ता को सेवाओं के नियमितीकरण के अपने दावे पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक था, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 का स्पष्ट उल्लंघन था - अभिनिर्धारित: अपीलकर्ता ने दैनिक वेतन पर रात्रि प्रहरी के पद पर 29 से अधिक वर्षों तक विश्वविद्यालय की सेवा की - काफी समय तक, विश्वविद्यालय ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया कि अपीलकर्ता की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों के अधिकारतीत थी - प्राचार्य और विश्वविद्यालय और शिक्षा अधिकारियों के बीच विभिन्न संचारों और वाद के तथ्यों

*को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की नियुक्ति को अवैध नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे केवल अनियमित कहा जा सकता है - *उमादेवी के वाद में, यह प्रावधान किया गया था कि विधिवत स्वीकृत पदों पर अनियमित नियुक्तियां जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है और उन्हें नियमित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में कदम उठाए जा सकते हैं - उस वाद में निकाले गए अपवाद के पीछे का उद्देश्य ऐसी नियुक्तियों के नियमितीकरण की अनुमति देना था जो अनियमित हैं लेकिन अवैध नहीं हैं और उन व्यक्तियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना था जिन्होंने 10 साल से अधिक समय तक राज्य सरकार और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सेवा की - उमादेवी में निकाला गया उक्त अपवाद वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू होता है - ऐसा कोई आलेख नहीं है कि अपीलकर्ता में किसी योग्यता की कमी है या दो दशकों से अधिक के अपने रोजगार के दौरान उसका अभिलेख किसी प्रकार से कलंकित रहा हो - वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता ने 29 से अधिक वर्षों तक विश्वविद्यालय की सेवा की है, न्याय के हित में, अधिकारियों को अपीलकर्ता की सेवाओं को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने का निर्देश दिया गया - बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 - धारा 10(6), 35।*

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. रात्रि प्रहरी के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति आवश्यकता और महाविद्यालय की चिंता के कारण की गई थी। महाविद्यालय के प्राचार्य ने रात्रि प्रहरी के पद पर नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता के वाद की सिफारिश की थी और इस प्रकार विश्वविद्यालय तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अपीलकर्ता की नियुक्ति से अच्छी तरह परिचित था, भले ही प्राचार्य ऐसी

नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे और इस प्रकार अपीलकर्ता और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को 1988 में विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया था। काफी समय तक, विश्वविद्यालय ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया कि प्राचार्य द्वारा अपीलकर्ता की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों के *अधिकारतीत* थी। प्राचार्य और विश्वविद्यालय और शिक्षा अधिकारियों के बीच विभिन्न संचारों और वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की नियुक्ति को अवैध नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे केवल अनियमित कहा जा सकता है। [कंडिका 9] [548-ई-एच; 549-ए]

2. राज्य सरकार ने सभी महाविद्यालयों के पंजीयक को सूचित किया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ और सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार यह सहमति हुई थी कि निर्धारित कार्मिक विन्यास/कर्मचारी संरचना के आधार पर शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना है। स्वीकृत कार्मिक विन्यास/कर्मचारी संरचना के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के दो पद रिक्त थे और अपीलकर्ता को उसी के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। [कंडिका 10] [549-बी-डी]

3. **उमादेवी* के वाद में निकाले गए अपवाद के पीछे का उद्देश्य ऐसी नियुक्तियों के नियमितीकरण की अनुमति देना था, जो अनियमित हैं लेकिन अवैध नहीं हैं, और उन व्यक्तियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना था जिन्होंने दस साल से अधिक समय तक राज्य सरकार और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सेवा की। *उमादेवी* में निकाला गया अपवाद वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू होता है। उत्तरदाताओं द्वारा कोई आलेख नहीं रखा गया है कि अपीलकर्ता में किसी योग्यता की कमी है या दो दशकों से अधिक के अपने रोजगार के दौरान कोई दागदार रिकॉर्ड रखता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता ने दैनिक वेतन पर रात्रि प्रहरी

के पद पर 29 से अधिक वर्षों तक विश्वविद्यालय की सेवा की है, न्याय के हित में, अधिकारियों को अपीलकर्ता की सेवाओं को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने का निर्देश दिया जाता है। (कंडिका 11, 14, 16] [551-बी-सी; 553-डी, जी-एच; 554-ए]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य **(2006) 4 एस.सी.सी. 1 : 2006 (3) एस.सी.आर. 953** - अवलंबित। *कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एम.एल. केसरी और अन्य* **(2010) 9 एस.सी.सी. 247: 2010 (9) एस.सी.आर. 543**; *निहाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य* **(2013) 14 एस.सी.सी.: 2013 (11) एस.सी.आर. 1** – संदर्भित।

न्यायिक संदर्भ

2006 (3) एस.सी.आर. 953	**कंडिका 4**	**में अवलंबित।**
2010 (9) एस.सी.आर. 543	**कंडिका 12**	**में संदर्भित।**
2013 (11) एस.सी.आर. 1	**कंडिका 13**	**में संदर्भित।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की दीवानी अपील संख्या 2835.

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के 2012 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1312 में दिनांक 20.02.2013 के निर्णय और आदेश से।

प्रदीप गुप्ता, परिणव गुप्ता, मानसी गुप्ता, डॉ. विपिन गुप्ता, अपीलकर्ता के लिए।

अभिनव मुखर्जी, बिहु शर्मा, पूर्णिमा कृष्णा, रोहित के. सिंह, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय

आर. भानुमति, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार द्वारा 2012 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1312 में पारित दिनांक 20.02.2013 के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा *शुरुआत में ही* खारिज कर दिया गया था, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए यह देखा गया था कि दैनिक वेतन पर अपीलकर्ता की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं थी और वह नियमितीकरण का हकदार नहीं है।

3. इस अपील को दायर करने के लिए जिम्मेदार संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं:- अपीलकर्ता को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (संक्षेप में "विश्वविद्यालय"), बिहार से संबद्ध, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय (संक्षेप में "महाविद्यालय"), दलसिंहसराय के प्राचार्य द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 04.06.1983 के माध्यम से दैनिक वेतन पर रात्रि प्रहरी के चतुर्थ श्रेणी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय ने दिनांक 04.07.1985 के पत्र के माध्यम से उन व्यक्तियों को नियमित करने का निर्णय लिया जिन्होंने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था, और दिनांक 30.03.1987 के पत्र के अनुसार, जिसके अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की आवश्यकता

है। इसके बाद, अपर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार ने दिनांक 11.07.1989 का एक समझौता पारित किया और उसकी एक प्रति विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अग्रेषित की, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी संरचना के अनुसार शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता है, साथ ही यह शर्त भी लगाई गई कि वर्तमान और भविष्य की रिक्तियों के विरुद्ध नई नियुक्तियां बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय के प्राचार्य ने दिनांक 07.10.1993 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के पंजीयक से अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का अनुरोध किया; लेकिन पंजीयक ने दिनांक 01.03.2001 को बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया। उच्च न्यायालय में कुछ समान रूप से स्थित दैनिक वेतन भोगियों द्वारा एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 9809/1998 दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के पंजीयक ने दिनांक 22.12.2001 के पत्र के माध्यम से सभी दैनिक वेतन भोगियों को 03.01.2002 से अपनी नौकरी फिर से शुरू करने की अनुमति दी और अपीलकर्ता ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया।

4. महाविद्यालय के प्राचार्य ने फिर से दिनांक 08.01.2002 और 12.07.2004 के पत्रों के माध्यम से दो रिक्त पदों के विरुद्ध अपीलकर्ता के समायोजित के लिए सिफारिश की। दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 5774/2000 में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, उन्हें सेवाओं के नियमितीकरण के लिए अपने दावे पर विचार करने के लिए कुलपति द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया गया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि यह संविधान पीठ के निर्णय *सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य,* (2006) 4 एस.सी.सी. 1 द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं था और पंजीयक द्वारा दिनांक 25.11.2007 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को इसकी जानकारी दी गई

थी। अपीलकर्ता ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (दीवानी) संख्या 545/2009 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसे दिनांक 26.08.2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, यह देखते हुए कि यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10(6) और धारा 35 के उल्लंघन का स्पष्ट वाद है और तीन सदस्यीय समिति द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1312/2012 दायर की जिसे दिनांक 26.08.2011 के आदेश की पुष्टि करते हुए *शुरुआत में ही* खारिज कर दिया गया। इस अपील में, अपीलकर्ता उपरोक्त आदेश का विरोध करना चाहता है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने दैनिक वेतन पर 29 वर्षों तक पद पर सेवा की और यहां तक कि *उमादेवी* के वाद (उपरोक्त) में कंडिका 53 में निर्णय के अनुसार, 10 साल से अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता एक स्वीकृत पद पर काम कर रहा है और उसकी नियुक्ति अवैध नहीं थी, लेकिन वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, उसकी नियुक्ति केवल अनियमित नियुक्ति हो सकती है जो उसे नियमितीकरण का हकदार बनाती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि तीन सदस्यीय समिति के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि अपीलकर्ता के वाद की नियमितीकरण के लिए सिफारिश की गई थी।

6. इसके विपरीत, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10(6) के तहत विधायी योजना के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य के पास दैनिक वेतन पर किसी भी पद पर कोई भी नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि तीन सदस्यीय समिति ने

अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की और नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता के दावे को सही खारिज किया।

7. दलील को दोहराते हुए, उत्तरदाता संख्या 4 से 6 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि महाविद्यालय के एक प्राचार्य को विश्वविद्यालय कानूनों के तहत तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था और अपीलकर्ता को किसी भी स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए वह नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकता।

8. हमने विरोधी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर मौजूद आलेख का भी अवलोकन किया है।

9. जहां तक उत्तरदाता की इस दलील का संबंध है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति प्राचार्य द्वारा की गई थी जो ऐसी नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं और यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का उल्लंघन है और इसलिए नियुक्ति अवैध नियुक्ति है, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि रात्रि प्रहरी के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति आवश्यकता और महाविद्यालय की चिंता के कारण की गई थी। जैसा कि पहले देखा गया है, महाविद्यालय के प्राचार्य ने दिनांक 11.03.1988, 07.10.1993, 08.01.2002 और 12.07.2004 के पत्रों के माध्यम से रात्रि प्रहरी के पद पर नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता के वाद की सिफारिश की और इस प्रकार विश्वविद्यालय तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अपीलकर्ता की नियुक्ति से अच्छी तरह परिचित था, भले ही प्राचार्य ऐसी नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे और इस प्रकार अपीलकर्ता और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को 1988 में विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया था। इसके

बावजूद, बर्खास्तगी की प्रक्रिया केवल वर्ष 2001 में शुरू की गई थी और अपीलकर्ता को 03.01.2002 कि प्रभावी तिथि से बहाल किया गया था और अंततः वर्ष 2007 में सेवा से हटा दिया गया था। जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही तर्क दिया गया है, काफी समय तक, विश्वविद्यालय ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया कि प्राचार्य द्वारा अपीलकर्ता की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों के *अधिकारतीत* है। प्राचार्य और विश्वविद्यालय और शिक्षा अधिकारियों के बीच विभिन्न संचारों और वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, अपीलकर्ता की नियुक्ति को अवैध नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे केवल अनियमित कहा जा सकता है।

10. मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्र दिनांक 11.07.1989 के माध्यम से सभी महाविद्यालयों के पंजीयक को सूचित किया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ और सरकार के बीच 26.04.1989 को हुए समझौते के अनुसार यह सहमति हुई थी कि निर्धारित कार्मिक विन्यास/कर्मचारी संरचना के आधार पर शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना है। स्वीकृत कार्मिक विन्यास/कर्मचारी संरचना के अनुसार, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के दो पद रिक्त थे और अपीलकर्ता को उसी के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 989 दिनांक 10.05.1991 यह प्रावधान करता है कि 10.5.1986 तक काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। हालांकि, अपीलकर्ता को 1983 में अस्थायी रूप से उस पद पर नियुक्त किया गया था जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं था, मानव संसाधन विकास विभाग के उपरोक्त संचार के अनुसार, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने उन

कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के आदेश जारी किए जिन्होंने 10.5.1986 तक काम किया। हमारे सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न संचारों के आलोक में अपीलकर्ता के वाद की जांच करनी चाहिए थी और परिपत्र के आलोक में, अपीलकर्ता नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र है।

11. जैसा कि पहले देखा गया है, अपीलकर्ता का वाद तीन सदस्यीय समिति को भेजा गया था और तीन सदस्यीय समिति ने यह घोषित करते हुए अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया कि उसकी नियुक्ति *उमादेवी* के वाद (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णय के अनुपात के अनुरूप नहीं है। *उमादेवी* के वाद में, भले ही इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अस्थायी या तदर्थ के विरुद्ध की गई नियुक्तियों को नियमित नहीं किया जाना है, निर्णय की कंडिका 53 में, इसने प्रावधान किया कि विधिवत स्वीकृत पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की अनियमित नियुक्ति जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है और उन्हें नियमित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में कदम उठाए जा सकते हैं। कंडिका 53 में, न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:-

> **"53.** एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे वाद हो सकते हैं जहां विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) जैसा कि *एस. वी. नारायणप्पा, आर.एन. नंजुंदप्पा और बी.एन. नागराजन* में समझाया गया है और ऊपर कंडिका 15 में संदर्भित है, की गई हों और कर्मचारी दस साल या उससे अधिक समय तक काम करते रहे हों लेकिन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना। ऐसे

कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर ऊपर संदर्भित वाद में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में और इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार करना पड़ सकता है। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके अधीनस्थ संस्था को एक बार के उपाय के रूप में, ऐसे *अनियमित* रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों की आड़ में नहीं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जाएं जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है, उन वाद में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी अब नियोजित किए जा रहे हैं। इस तारीख से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि, यदि कोई नियमितीकरण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो उसे इस निर्णय के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए।"

इस वाद में निकाले गए अपवाद के पीछे का उद्देश्य ऐसी नियुक्तियों के नियमितीकरण की अनुमति देना था, जो अनियमित हैं लेकिन अवैध नहीं हैं, और उन व्यक्तियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना था जिन्होंने दस साल से अधिक समय तक राज्य सरकार और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सेवा की।

12. *उमादेवी* के वाद (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों पर विस्तार से बताते हुए और *कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एम.एल. केसरी और अन्य,* (2010) 9 एस.सी.सी. 247 में अनियमित और अवैध नियुक्तियों के बीच अंतर को समझाते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"7. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि *उमादेवी (3)* में प्रतिपादित "नियमितीकरण" के खिलाफ सामान्य सिद्धांतों का एक अपवाद है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(i) संबंधित कर्मचारी ने किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के लाभ या संरक्षण के बिना विधिवत स्वीकृत पद पर 10 साल या उससे अधिक समय तक काम किया हो। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ संस्था ने कर्मचारी को नियुक्त किया हो और उसे स्वेच्छा से और लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक सेवा में जारी रखा हो।

(ii) ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति अवैध नहीं होनी चाहिए, भले ही अनियमित हो। जहां नियुक्तियां स्वीकृत पदों के विरुद्ध नहीं की जाती हैं या जारी नहीं रखी जाती हैं या जहां नियुक्त किए गए व्यक्तियों के पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं होती है, वहां नियुक्तियों को अवैध माना जाएगा। लेकिन जहां नियोजित व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यताएं थीं और वह स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहा था, लेकिन खुली प्रतिस्पर्धी चयन की प्रक्रिया से गुजरे बिना चुना गया था, ऐसी नियुक्तियों को अनियमित माना जाता है।"

13. *उमादेवी* के वाद के अनुपात को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने *निहाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य*, (2013) 14 एस.सी.सी. 65 में पंजाब राज्य की सेवाओं में विशेष पुलिस अधिकारियों के समायोजित का निर्देश देते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> **"35.** इसलिए, यह स्पष्ट है कि पदों के सृजन की आवश्यकता का अस्तित्व एक प्रासंगिक कारक है जिसके संदर्भ में कार्यकारी सरकार को प्रासंगिक विचार के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमारी राय में, जब वर्तमान वाद में प्राप्त तथ्यों जैसे तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि पदों के सृजन की आवश्यकता है, तो कार्यकारी सरकार द्वारा अपना दिमाग लगाने और पदों को बनाने या निर्णय लेने में विफलता या दशकों तक यहां अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों से काम लेना बंद करना ही राज्य की ओर से मनमानी कार्रवाई (निष्क्रियता) होगी।
>
> **36.** दूसरा कारक जिसे पदों का सृजन या समाप्त करते समय राज्य को ध्यान में रखना आवश्यक है, वह है ऐसे निर्णय में शामिल वित्तीय निहितार्थ। पदों के सृजन का अनिवार्य रूप से मतलब है राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ। राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर, वित्त का आवंटन निस्संदेह विशेष रूप से विधायिका के कार्यक्षेत्र के भीतर है। हालांकि वर्तमान वाद में नए पदों के सृजन से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि विभिन्न बैंक जिनके निपटान में प्रत्येक अपीलकर्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, बोझ उठाने के लिए सहमत हो गए हैं। यदि अपीलकर्ताओं को राज्य की सेवाओं में शामिल करना और राज्य द्वारा नियोजित समान श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के बराबर लाभ प्रदान करने से और वित्तीय प्रतिबद्धता होती है तो राज्य के लिए बैंकों से ऐसे

अतिरिक्त बोझ को पूरा करने की मांग करना हमेशा खुला है। जाहिर है राज्य द्वारा कभी ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। परिणाम यह है कि विभिन्न बैंक जो इन अपीलकर्ताओं की सेवाओं का लाभ उठाते हैं, दशकों की अवधि में सस्ते श्रम की आपूर्ति का आनंद लेते हैं। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि ये बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।"

14. हमारे विचार में, *उमादेवी* की कंडिका 53 में निकाला गया अपवाद वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू होता है। उत्तरदाताओं द्वारा अभिलेख पर कोई आलेख नहीं रखा गया है कि अपीलकर्ता में किसी योग्यता की कमी है या दो दशकों से अधिक के अपने रोजगार के दौरान उसका अभिलेख किसी प्रकार से कलंकित रहा हो। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि नियमितीकरण के लिए दैनिक वेतन पर समान रूप से स्थित व्यक्तियों की सेवाएं अर्थात् एक यतीन्द्र कुमार मिश्रा जिन्हें लिपिक के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था, को 1987 कि प्रभावी तिथि से नियमित किया गया था। यद्यपि अपीलकर्ता शुरू में गैर-स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहा था, अपीलकर्ता 03.1.2002 से स्वीकृत पद के विरुद्ध लगातार काम कर रहा था। चूंकि इस विवरण के बारे में अभिलेख पर कोई आलेख नहीं रखा गया है कि क्या कोई अन्य रात्रि प्रहरी स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम 01.01.2010 से मौद्रिक लाभ का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं।

15. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता ने रात्रि प्रहरी के पद पर 29 से अधिक वर्षों तक विश्वविद्यालय की सेवा की है और उसने दैनिक वेतन पर महाविद्यालय की सेवा की है, न्याय के हित में, अधिकारियों को अपीलकर्ता की सेवाओं को

03.01.2002 (वह तारीख जिस पर उसने पंजीयक के निर्देश के अनुसार पद पर फिर से कार्यभार ग्रहण किया) से प्रभावी पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने का निर्देश दिया जाता है।

16. लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1312/2012 में उच्च न्यायालय का दिनांक 20.02.2013 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और यह अपील स्वीकार की जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता की सेवाओं को 3 जनवरी, 2002 से राष्ट्रीय स्तर पर या उस तिथि से, जिस दिन पद रिक्त हुआ था, जो भी बाद में हो, और उपरोक्त अवधि के लिए बिना किसी मौद्रिक लाभ के, नियमित करें। हालांकि, अपीलकर्ता 01.01.2010 से मौद्रिक लाभ का हकदार होगा। 03.01.2002 से की अवधि को सेवा की निरंतरता और पेंशन लाभों के लिए गिना जाएगा।

17. अपील उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।